3881 Sale Deed 1100000 3800 45000

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

163219

[illegible] नियम 21 तथा छोटानागपुर [illegible] नियम 1908 की धारा 46 के [illegible] स्टाम्प अधिनियम 1899 की [illegible] के अधीन [illegible] सहित

निबंधन पदाधिकारी 13.8.16

33000 - 330 - 2.50 33332.50

13-8-16

1. लेख्यकारी का नाम पूरा पता :–

सुमित्रा सहाय पति स्व0 बागेश्वर सहाय, जाति कायस्थ, निवास स्थान चुल्हाई चक, थाना एवं पोस्ट दानापुर, जिला पटना, 801105, पेशा गृहिणी, राज्य बिहार, नागरिकता भारतीय। PAN.-FNXPS6313B

शपथ पत्र संख्या .... दिनांक ....

2. लेख्यधारी का नाम पूरा पता :–

1) डॉ0 प्रसून कुमार पिता श्री जनार्दन प्रसाद भगत, पेशा चिकित्सक, पैन नं0 AHFPK6140H.

सुमित्रा सहाय

13-8-16

13/8/16

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

075121

2) श्रीमती सलोनी कुमार पति डॉ0 प्रसून कुमार, कायम पेशा गृहिणी, पैन नं0 ARVPK3228N.

दोनों का जाति व्याहुत कलवार, निवास स्थान कुण्ड मुहल्ला, शहर थाना एवं डाकघर मेदिनीनगर, जिला पलामू, राज्य झारखण्ड, नागरिकता भारतीय।

शपथ पत्र संख्या .... दिनांक ....

शपथ पत्र संख्या .... दिनांक ....

3. किस्म वसीका :– केवाला विक्रय पत्र।

4. मूल्य :– निर्धारित मूल्य 10,98,500 (दस लाख अंठानबे हजार पाँच सौ) रूपये।

बाजार मूल्य :– 11,00,000 (ग्यारह लाख) रूपये।

आवासीय:– 2,19,650 रूपये प्रति डी0, वार्ड नं0 4

5. बिक्रय सम्पति :– मवाजी0 – $04\frac{1}{2}$ डी0 (चार पूर्णांक एक बट्टा दो) जमीन गृह निर्माण हेतु वाके मौजा कुण्ड मुहल्ला हमीदगंज, शहर थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू हकीयत रैयती सम्पति है। जिसपर लेख्यकारी का निर्विवाद शांतिपूर्वक कब्जा दखल है। सब रजिस्ट्री ऑफीस वो जिला रजिस्ट्री ऑफीस एवं अंचल कार्यालय मेदिनीनगर, जिला पलामू।

सुमि का सहाय 13-8-16

13/8/16

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

075122

मौजा	थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0	वार्ड नं0
कुण्ड मुहल्ला हमीदगंज	190	73	01	04

खाता नं0	प्लौट नं0	रकवा	चौहदी
XX	453 / A (चार सौ तिरपन बट्टा ए)	3.19 डी0	उ0–नगरपालिका सड़क द0–नाला ढोढा
	466 / A (चार सौ छेयासठ बट्टा ए)	1.31 डी0	पु0–स्व॰ श्याम प्र॰ प्रकाश प0–नागेश्वर सहाय

चुकी मौजा कुण्ड का फाईनल सर्वे नही हुआ है। इसलिए खाता दर्ज नही है।

सालाना मालगुजारी मो0 5 रूपयें अलावे शेष।

नाम मालिक मय पूरा पता :– झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी मेदिनीनगर, जिला पलामू।

यह कि लेख्यकारी को अपनी सम्पति का कार्यालय, अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर के द्वारा मांग पंजी में डिमाण्ड के सत्यापन के पुष्टि का पत्रांक सं0–637 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा प्राप्त है।

सुमित कु सहाय
13-8-16

गवाह
रवि रंजन कुमार
पि0 कामेश्वर सहाय
मु॰ मुस्लिम हाई स्कूल, डालटनगंज
पटना (बिहार) 13/8/16

विदित हो कि उपरोक्त सम्पति लेख्यकारी की सास सुदामा देवी पति कान्धेश्वर सहाय ने मसोमात औतारन कुंवर पति मुंशी सुरज भान लाल एवं बहुरिया देव कुमारी देवी पति बाबू गणेश प्रसाद निवासी शहर थाना डालटनगंज, जिला पलामू से निबंधित विक्रय पत्र नं0 3361, बुक नं0–01, भौलुम नं0 34, पेज नं0 110 से 115, दिनांक 30.08.1943 ई0 को डालटनगंज निबंधन कार्यालय से निबंधित द्वारा हासिल किया था। जिसपर लेख्यकारी की सास का अपने जीवन काल तक निर्विवाद दखल कब्जा रहा।

यह कि सुदामा देवी अपने मात्र दो पुत्र बागेश्वर सहाय उर्फ तुलसी बाबू एवं नागेश्वर सहाय उर्फ रामऔतार बाबू को छोड़कर स्वर्गवास कर गयी तत्पश्चात् लेख्यकारी के पति एवं उनके भाई अपनी माता के द्वारा अर्जित जायदाद पर दखल कब्जा मे आये और दिनांक 05.12.1988 को अपने सुविधानुसार एक लिखित यादास्त बंटवारानामा एक–दूसरे के पक्ष में निष्पादित कर दिया। जिसमें लेख्यकारी के पति को तख्ता नं0–"क" में विक्रय सम्पति प्राप्त हुई। जिसपर लेख्यकारी के पति का निर्विवाद दखल कब्जा अपने जीवन काल तक बना रहा।

यह कि बागेश्वर सहाय उर्फ तुलसी बाबू मात्र एक धर्मपत्नी लेख्यकारी नं0 1 सुमित्रा सहाय एवं तीन पुत्र अरूण कुमार सहाय, प्रफुल्ल रंजन और रवि रंजन को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। इसके बाद उनके वारिशान लेख्यकारी एवं उनके पुत्र बागेश्वर सहाय उर्फ तुलसी बाबू को तख्ता नं0–"क" में प्राप्त सम्पति पर कब्जा दखल में आये और लेख्यकारी सुमित्रा सहाय घर के प्रमुख कर्ताधर्ता हैं। इसलिए उन्होंने अपने पति के सम्पति का नामान्तरण, नामान्तरण वाद सं0–480/2000–01 के द्वारा अपने नाम से अपने तीनों पुत्रों के सहमति से जमाबन्दी सं0–12/51 पर डिमाण्ड खोलवा लिए एंव लेख्यकारी विक्रय सम्पति पर निर्विवाद शांतिपूर्वक कब्जा दखल में निरन्तर चली आ रही है एवं मालगुजारी रसीद कटता चला आ रहा है।

सुमित्रा सहाय
13-8-16

15-8-16

10/8/16